

19.02.2019

अपीलांत अनुपस्थित। राज्य लोक सूचना अधिकारी उपस्थित। राज्य लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलेक्टर) जालोर का जवाब प्राप्त हुआ।

राज्य लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलेक्टर) जालोर ने जवाब में कथन किया कि आवेदित सूचना बाबत अपीलांत का आवेदन पत्र 27.12.2018 को प्राप्त हुआ। अपीलांत द्वारा अपने आवेदन पत्र में चाही गई सूचना के संबंध में अपीलांत को जरिये पत्रांक/13 दिनांक 10.01.2019 के द्वारा 46 पृष्ठों के 92/- रूपये जमा कराने हेतु लिखा गया। अपीलांत द्वारा निर्धारित शुल्क जमा नहीं करवाने के कारण आवेदित सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई। अतः अपीलांत की अपील खारिज की जावे।

हमने राज्य लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलेक्टर) जालोर के द्वारा प्रस्तुत जवाब पर मनन किया। अपीलांत द्वारा अपने उक्त आवेदन पत्र में चाही गई सूचना के संबंध में राज्य लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलेक्टर) जालोर के द्वारा कार्यालय में उपलब्ध सूचना हेतु जरिये पत्रांक/13 दिनांक 10.01.2019 के द्वारा निर्धारित शुल्क जमा कराने हेतु लिखा जाना पाया जाता है। अपीलांत द्वारा निर्धारित शुल्क जमा नहीं करवाने पर आवेदित सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है।

ऐसी स्थिति में अपीलार्थी का सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत दिनांक 24.12.2018 जो कि रेस्पोंडेंट राज्य लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में 27.12.2018 को प्राप्त होना अवगत करवाया है, के तहत सूचना हेतु वांछित दस्तावेजों के पेटे राशि जमा कराने हेतु अपीलार्थी/प्रार्थी को जरिये पत्रांक/13 दिनांक 10.01.2019 के द्वारा सूचित किया गया होने से सूचना के अधिकार अधिनियम 6(1)का प्रार्थना पत्र पर राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा उक्त अधिनियम के तहत वांछित कार्यावाही अन्दर म्यार की गई है चूंकि अपीलांत/प्रार्थी द्वारा वांछित राशि जमा नहीं करवाई है अतः इस अपील का कोई विधिक आधार नहीं है। तदनुसार अपील खारिज की जाती है। अतः अपीलांत की अपील खारिज की जाकर फ़ैसल शुमार की जाती है।

अपीलांत को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि वह इस निर्णय से असंतुष्ट है तो इस आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग जयपुर के समक्ष की जा सकती है।

Sd/-

प्रथम अपीलार्थी अधिकारी
(जिला कलेक्टर)

जालोर

